(8)

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

श्री सुधीर कुमार तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग, झारखण्ड सम्प्रति उप निदेशक प्रा0 शिक्षा, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों यथा–

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग में अवैध रूप से वर्ष 1998 में 19 (उन्नीस) एवं वर्ष 1999 में 34 (चौंतीस) छात्रों का अवैध नामांकन करने

(ख) वर्ष 1998 एवं वर्ष 1999 की नामांकन से संबंधित अभिलेख यथा चयन पंजी, कंट्रोल चार्ट, डायरी पंजी, साक्षात्कार पंजी, मेरिट लिस्ट को गायब करने एवं

(ग) वर्ष 1998 एवं वर्ष 1999 में छात्रों के नामांकन में आरक्षण नियमों का उल्लघंन करने के लिए श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०–2205 दिनांक–09.07.13 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री विश्वम्भर राम, विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग तथा श्री सुरेश कुमार सिंह, सहायक निदेशक प्रशिक्षण, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री कुमार के विरूद्ध उक्त गठित आरोपों पर संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा तीनों आरोपों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आंशिक रूप से प्रमाणित पाया। नैसर्गिक न्याय का समुचित अवसर प्रदान करते हुए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–4514 दिनांक–05.12.13 के द्वारा द्वितीय कारण की पृच्छा की गयी। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के स्पष्टीकरण से सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त असहमत होते हुए श्री कुमार के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आंशिक रूप से प्रमाणित तीनों आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के भाग V के कंडिका 14 (V) के आलोक में श्री कुमार को विभागीय संकल्प सं०–4783 दिनांक–27.12.13 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का लघुदण्ड अधिरोपित किया गया।

3. उक्त अधिरोपित दण्ड को समाप्त करने के संबंध में श्री कुमार के द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया। तदोपरांत श्री कुमार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सी०डब्लू०जे०सी० सं०–2347/2014 दायर किया गया। उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायलय, पटना द्वारा दिनांक– 07.09.16 को न्यायादेश पारित किया गया कि– For the reasons aforementioned, the entire proceedings including the impugned order dated 27.12.2013, is quashed and set aside. The petitioner shall be entitled to all consequential benefits including the refund of the increment amount, which should be provided to the petitioner within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of the order.

4. माननीय उच्च न्यायलय, पटना के दिनांक–07.09.16 को पारित न्यायादेश के संबंध में विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श की मांग की गयी कि उक्त पारित न्यायादेश का अनुपालन किया जाय अथवा उक्त न्यायादेश के विरूद्ध LPA दायर किया जाय। विधि विभाग से परामर्श प्राप्त हुआ कि उपर्युक्त मामले में LPA दायर करने की आवश्यकता नहीं है।